



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
भाद्र 4, गुरुवार, शाके 1932-अगस्त 26, 2010 <i>Bhadra 4, Thursday, Saka 1932--August 26, 2010</i>	

भाग 4(ग)

उपखण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

“शुद्धि सूचना”

जयपुर, अगस्त 23, 2010

संख्या प.12 (6) संसद/2008:—“संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 12 (6) संसद/2008 दिनांक 29-12-2009 जिससे राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) (संशोधन) नियम, 2009 का प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (ग) उप-खण्ड (I) में दिनांक जनवरी 18, 2010 को प्रकाशित हुआ है में उक्त संशोधन नियमों के नियम 4 के उप-नियम (2) में विद्यमान शब्द “ये 21 जून, 2009 को और से प्रवृत्त समझे जायेंगे।” के स्थान पर शब्द “ये 1 जून, 2009 को और से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।” पढ़ा जाये।”

एस. डी. टाक,
प्रमुख शासन सचिव।